



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-बी.आर.-अ.-16072026-274532
CG-BR-E-16072026-274532

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3733]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2026/आषाढ 24, 1948

No. 3733]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2026/ASHADHA 24, 1948

रेल मंत्रालय
(पूर्व मध्य रेल)

अधिसूचना

पटना, 13 जुलाई, 2026

का.आ. 3896(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20A की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात् पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल अन्तर्गत “पाटलीपुत्र कोचिंग कॉम्प्लेक्स में ट्रेनसेट रखरखाव की सुविधा” इसके द्वारा ऐसी भूमि अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 D की उप धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन पर आपत्ति कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, पटना, बिहार को लिखित रूप में की जाएगी तथा उसके आधार बताए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर देगा, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी द्वारा, तथा ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात या ऐसी आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जैसा सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20D की उप धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आनेवाली भूमि की योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध है और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना के लिए जिला पटना के अंतर्गत आनेवाली संरचना के साथ या उसके बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण अर्थात् पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल अन्तर्गत “पाटलीपुत्र कोचिंग कॉम्प्लेक्स में ट्रेनसेट रखरखाव की सुविधा”

क्र० सं०	मौजा का नाम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अर्जनाधीन रकवा (एकड़ में)	अर्जनाधीन रकवा (हेक्टेयर में)	प्लाट का हिस्सा प्रभावित
1	जलालपुर	22	17	548	निजी	आवासीय सहायक सड़क	0.015	0.0060704	अंश
2			76	549	गैरमजरुआ मालिक	आवासीय सहायक सड़क	0.0725	0.0293403	अंश
3			21	571	गैरमजरुआ मालिक	आवासीय सहायक सड़क	0.025	0.0101174	अंश
4			206	579		आवासीय सहायक सड़क	0.01	0.0040469	अंश
5			18	580	निजी	आवासीय सहायक सड़क	0.04	0.0161878	अंश
6			12	581		आवासीय सहायक सड़क	0.04	0.0161878	अंश
7			19	582		आवासीय सहायक सड़क	0.01	0.0040469	अंश
8				583	निजी	आवासीय सहायक सड़क	0.015	0.0060704	अंश
9			66	593	निजी	आवासीय सहायक सड़क	0.04	0.0161877	अंश
कुल क्षेत्रफल							0.2675	0.1082557	
1	धनौत	20	40	1977	निजी	आवासीय सहायक सड़क	0.36	0.1214083	अंश
2			656	1978	गैरमजरुआ आम	आवासीय सहायक सड़क	0.025	0.0101173	अंश
3			81	1981	निजी	आवासीय सहायक सड़क	0.17	0.068798	अंश
4			78	1982	निजी	आवासीय सहायक सड़क	0.06	0.0242816	अंश
5			40	1983	निजी	आवासीय सहायक सड़क	0.04	0.0161877	अंश
कुल क्षेत्रफल							0.655	0.2650748	

[फा.सं. डीसीई/निर्माण/दानापुर/1/पीपीटीए/20ए]

राजीव गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नि०/द०

MINISTRY OF RAILWAY

(East Central Railway)

NOTIFICATION

Patna, the 13th July, 2026

S.O. 3896(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule annexed hereto, is required for execution of Special Railway Project namely “**Requirement of facilities for Trainset maintenance at Patliputra coaching complex**” under East Central Railway hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of **thirty days** from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every Such objection shall be made to the competent authority, namely, **District Land Acquisition Officer, Patna, Bihar** in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the District Patna for Special Railway Project, namely “**Requirement of facilities for Trainset maintenance at Patliputra coaching complex**” under East Central Railway.

Sl No.	Name of Village	Thana No.	Khata No.	Plot No.	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (In Acre))	Area to be acquired (In Hectare)	Part/Full
1	Jalalpur	22	17	548	Private	Residential Branch Road	0.015	0.0060704	Part
2			76	549	Gairmajorua Malik	Residential Branch Road	0.0725	0.0293403	Part
3			21	571	Gairmajorua Malik	Residential Branch Road	0.025	0.0101174	Part
4			206	579		Residential Branch Road	0.01	0.0040469	Part
5			18	580	Private	Residential Branch Road	0.04	0.0161878	Part
6			12	581		Residential Branch Road	0.04	0.0161878	Part
7			19	582		Residential Branch Road	0.01	0.0040469	Part
8				583		Residential Branch Road	0.015	0.0060704	Part
9			66	593	Private	Residential Branch Road	0.04	0.0161878	Part
Total Area							0.2675	0.1082557	

1	Dhanaut	20	40	1977	Private	Residential Branch Road	0.36	0.1214083	Part
2			656	1978	GairmajaruaAam	Residential Branch Road	0.025	0.0101173	Part
3			81	1981	Private	Residential Branch Road	0.17	0.068798	Part
4			78	1982	Private	Residential Branch Road	0.06	0.0242816	Part
5			40	1983	Private	Residential Branch Road	0.04	0.0161877	Part
Total Area							0.655	0.2650748	

[F.No. DCE/Con/DNR-I/PPTA/20A]

RAJIV GUPTA, Chief Admin.Officer/Con/South